भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1746

30 जुलाई, 2025 के लिए प्रश्न

जन पोषण केंद्र

1746. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उचित मूल्य की दुकानों और जन पोषण केंद्रों का दादरा और नगर हवेली संघ राज्यक्षेत्र सहित राज्यवार और जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का लोगों को बेहतर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चावल और गेहूं के स्थान पर बाजरा शामिल करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): देशभर में एनएफएसए के अंतर्गत उचित दर दुकानों (एफपीएस) की कुल संख्या 5,43,259 है तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र सहित राज्यवार कुल एफपीएस की संख्या को दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध-क** पर है।

वर्तमान में, जन पोषण केंद्र (जेपीके) पर प्रायोगिक अध्ययन के तहत, 90 एफपीएस अर्थात 4 शहरों अर्थात् हैदराबाद, गाजियाबाद, जयपुर, अहमदाबाद से 15-15 और इंदौर से 30 को जेपीके में परिवर्तित किया गया है।

(ख) से (घ): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के माध्यम से लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को वितरण हेतु दिनांक 1 जनवरी 2023 से निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। 'खाद्यान्न' शब्द को चावल, गेहूँ और मोटे अनाज (श्री अन्न सहित) या इनके किसी भी संयोजन के रूप में परिभाषित किया गया है जो केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर आदेश द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानदंडों के अनुरूप हो। इसके अतिरिक्त, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले लाभों से अधिक लाभ प्रदान करने वाली खाद्य या पोषण आधारित योजनाएं या स्कीमें बना सकती हैं।

...2/-

पीडीएस के तहत गेहूं/चावल की समान मात्रा (राज्य द्वारा अनुरोध के अनुसार) के बदले में श्री अन्न (पोषक अनाज) भी आबंटित किया जाता है, जबकि यह सुनिश्चित किया जाता है कि चावल, गेहूं और मोटे अनाज (पोषक अनाज) की कुल मात्रा प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में निर्धारित ऊपरी सीमा के भीतर हो।

तदनुसार, वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 (अगस्त, 2025 तक) में क्रमशः 10,41,659 टन, 12,29,020 टन और 2,12,436 टन श्री अन्न/मोटा अनाज वितरित किया गया है।

*****

अनुबंध-क

दिनांक 30.07.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1746 के भाग (क) के उत्तर में विनिर्दिष्ट अनुबंध

एनएफएसए के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उचित दर दुकानों की कुल संख्या को दर्शाने वाला विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिला संख्या	कुल उचित दर दुकानें
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3	416
2	आंध्र प्रदेश	26	29,791
3	अरुणाचल प्रदेश	26	1,680
4	असम	35	34,300
5	बिहार	38	50,951
6	चंडीगढ़	डीबीटी	उपलब्ध नहीं
7	छत्तीसगढ	33	13,675
8	दादर एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव	4	114
9	दिल्ली	11	1,993
10	गोवा	2	452
11	गुजरात	34	16,949
12	हरियाणा	22	9,434
13	हिमाचल प्रदेश	12	5,219
14	जम्मू एवं कश्मीर	20	6,737
15	झारखंड	24	25,228
16	कर्नाटक	35	20,403
17	केरल	14	13,913
18	लद्दाख	2	404
19	लक्षद्वीप	1	39
20	मध्य प्रदेश	55	27,377
21	महाराष्ट्र	41	52,642
22	मणिपुर	16	2,339
23	मेघालय	12	4,735
24	मिजोरम	11	1,258
25	नगालैंड	16	1,783
26	ओडिशा	30	12,044
27	पुदुचेरी	DBT	NA
28	पंजाब	23	18,150
29	राजस्थान	50	27,062
30	सिक्किम	6	1,312
31	तमिलनाडु	38	34,805
32	तेलंगाना	34	17,246
33	त्रिपुरा	8	2,057
34	उत्तराखंड	13	9,059
35	उत्तर प्रदेश	75	79,216
36	पश्चिम बंगाल	23	20,476
	कुल	**793**	**5,43,259**

*****